पत्र क्रमांक 10/27/92-3ए0आर0

प्रेषक

वितायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
प्रशासकीय सुधार विभाग ।

सेवा में,

1. हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्ष
2. हरियाणा राज्य के सभी मण्डलआयुक्त एवं उपायुक्त
3. हरियाणा राज्य के सभी उपमण्डल अधिकारी (ना)
4. रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट, चण्डीगढ़ ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 27-1-93

विषय : प्रशासकीय सुधार विभाग द्वारा विभिन्न विभागों में विलम्ब जांच तथा अन्य प्रशासकीय त्रुटियों के लिए निरीक्षण ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाऊं और कहूं कि प्रशासकीय सुधार विभाग को निरीक्षण यूनिट/डिले चैकिंग यूनिट द्वारा विभिन्न विभागों में विलम्ब जांच तथा अन्य प्रशासनिक त्रुटियों के लिए निरीक्षण किया जाता है । प्राय: देखा गया है कि कुछेक विभागों में इन यूनिटों के कार्य में कई प्रकार की अड़चनें डाली जाती हैं और निरीक्षण के समय सहयोग भी नहीं दिया जाता जिस कारण इन यूनिटों के कार्य का ठीक प्रकार संचालन नहीं हो पाता । सरकार द्वारा इसे बड़ी गम्भीरता से लिया गया है । अत: आपसे अनुरोध है कि प्रशासकीय सुधार विभाग की निरीक्षण यूनिटों की निरीक्षण के समय उनके कार्य में कोई बाधा न डाली जाए और उन्हें पूर्ण सहयोग दिया जाए ।

कृपया इन हिदायतों की दृढ़ता से अनुपालना हेतू सभी सम्बन्धित के ध्यान में ला दिया जाए ।

हस्ताक्षर

उप सचिव, प्रशासकीय सुधार,
कृते: वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
प्रशासकीय सुधार विभाग।